भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1347

जिसका उत्तर गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना का विकास

1347 श्री ईरण्ण कडाडी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका में अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने अधीनस्थ न्यायालय शामिल किये गए हैं और कितनों को शामिल किये जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार, विशेष रूप से कर्नाटक में, कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तदायित्व राज्य सरकारों में निहित हैं । राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए संघ सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच विहित निधि सहभाजन पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने द्वारा न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन किया है । स्कीम 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है| इसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय निवासों के संनिर्माण आते है । स्कीम 9,000 करोड़ रु. जिसके अंतर्गत 5,307 करोड़ रु. का केन्द्रीय अंश शामिल है, की बजट लागत के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक विस्तारित की गई है । न्यायालय हालों और आवास गृह के

संनिर्माण के अतिरिक्त स्कीम में अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता हॉल, डिजिटल कम्प्यूटर कमरें और प्रसाधन परिसरों के संनिर्माण भी आते हैं । स्कीम के अधीन इसके प्रारंभ से अब तक 9,013 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें से 2014-2015 से अब तक 5,569 करोड़ रु. (61.78%) जारी किये जा चुके है । स्कीम का उद्देश्य राज्य सरकारों के संसाधनों को पूरा करना है । स्कीम के अधीन परियोजना-वार आबंटन नहीं किया गया है । तथापि, न्याय विकास पोर्टल पर राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराएं गए रिकार्ड के अनुसार 30.06.2022 तक 2677 न्यायालय हॉल और 1659 आवासीय इकाइयां संनिर्माणाधीन है और 431 न्यायालय हॉल और 541 आवासीय इकाइयां संनिर्माण के लिए प्रस्तावित है । स्कीम के प्रारंभ से और 2014-2015 तक, 15818 न्यायालय हॉल और 10211 आवासीय इकाइयों की कुल संख्या उपलब्ध थी । तथापि, 30.06.2022 तक 20993 न्यायालय हॉल और 18502 आवासीय इकाइयों की कुल संख्या उपलब्ध है ।

(ग) : उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पूरे किए गए न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों की संख्या के सामने पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सभी राज्यों जिसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य भी है को जारी की गई निधियों का विवरण **उपाबंध** पर है । यह देखा जा सकता है कि कर्नाटक राज्य के लिए 100.76 करोड़ रु. की निधियां जारी की गई थी जिसके विरूद्ध पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 331 न्यायालय हॉल और 119 आवासीय इकाइयां पूरी की गई थी ।

****

उपाबंध

न्यायिक अवसंरचना का विकास के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं0 1347 जिसका उत्तर 28.07.2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं0	राज्य	2019-20 में जारी	019-20 में पूरे किए गए न्यायालय हॉल	019-20 में पूरी की गई आवासीय इकाइयां	2020-21 में जारी	2020-21 में पूरे किए गए न्यायालय हॉल	2020-21 में पूरी की गई आवासीय इकाइयां	2021-22 में जारी	2021-22 में पूरे किए गए न्यायालय हॉल	2021-22 में पूरी की गई आवासीय इकाइयां	2022-23 में जारी	2022-23 में पूरे किए गए न्यायालय हॉल	2022-23 में पूरी की गई आवासीय इकाइयां
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0.17	2	0	0.35	0	0	0.00	0	0		0	0
2.	आंध्र प्रदेश	20.00	3	0	10.28	0	2	0.00	3	2		4	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.69	0	0	5.00	0	0	4.09	0	0		0	0
4.	असम	36.54	18	11	25.00	0	0	27.40	0	0		0	0
5.	बिहार	87.62	51	24	65.72	24	12	0.00	31	36		0	0
6.	चंडीगढ़	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0	0
7.	छतीसगढ़	19.83	0	8	7.84	18	2	0.00	8	22		2	11
8.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0	0
9.	दमन और दीव	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0	0
10.	दिल्ली	48.52	54	0	45.00	24	0	30.00	0	0		44	0
11.	गोवा	4.06	28	0	3.80	0	0	3.20	0	0		0	0
12.	गुजरात	16.49	0	0	13.50	0	0	0.00	0	0		0	0
13.	हरियाणा	14.06	0	0	22.00	8	0	0.00	14	4		0	56
14.	हिमाचल प्रदेश	5.72	0	0	5.50	0	0	0.00	3	0		0	0
15.	जम्मू - कश्मीर	10.00	5	5	[redacted]	1	1	[redacted]	0	0	[redacted]	0	0
16.	जम्मू - कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	5.00			6.65			20.00					
17.	झारखंड	13.74	39	0	9.05	0	0	6.00	0	0		0	0
18.	कर्नाटक	44.04	154	82	29.72	65	21	27.00	87	9		25	7
19.	केरल	15.82	0	0	13.00	15	0	50.00	0	0		0	0
20.	लद्दाख	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0	0
21.	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0	0
22.	मध्य प्रदेश	66.90	32	73	45.60	34	104	55.00	22	20		0	22

23.	महाराष्ट्र	61.09	182	24	23.11	0	0	18.00	0	1		0	0
24.	मणिपुर	9.66	0	0	5.00	0	0	0.00	0	0		0	0
25.	मेघालय	22.85	0	0	7.71	0	0	28.02	0	0		0	0
26.	मिजोरम	5.24	0	2	5.00	0	0	9.50	0	0		0	0
27.	नागालैंड	3.42	0	1	5.00	0	0	13.27	0	0		0	0
28.	ओडिशा	35.69	53	24	0.00	35	14	0.00	51	25		0	2
29.	पुडुचेरी	3.31	0	0	0.00	7	6	0.00	0	0		0	0
30.	पंजाब	39.78	34	0	16.48	7	9	16.50	0	0		0	0
31.	राजस्थान	64.21	70	28	29.90	43	7	41.50	15	18		1	6
32.	सिक्किम	2.78	1	0	2.95	0	0	0.00	0	0		0	0
33.	तमिलनाडु	38.71	42	24	18.17	50	10	35.66	8	6		23	17
34.	तेलंगाना	5.65	10	1	16.00	12	0	0.00	12	0		0	0
35.	त्रिपुरा	18.82	0	0	7.74	0	0	0.00	10	0		0	0
36.	उत्तर प्रदेश	169.66	55	21	111.00	0	0	219.00	150	75		10	0
37.	उत्तराखंड	28.50	0	0	5.86	0	0	80.00	6	7		0	0
38.	पश्चिमी बंगाल	61.43	8	17	31.07	0	0	0.00	0	0		0	0
	योग	**982.00**	**841**	**345**	**593.00**	**343**	**188**	**684.14**	**420**	**225**	**109**	**109**	**123**

****